प्रेषक, अति महत्वपूर्ण/शीर्ष वरीयता

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

1. प्राचार्य
सी0टी0ई0 वाराणसी।

2. समस्त प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0।

3. समस्त प्रबंधक/सचिव/प्राचार्य
निजी डी0एल0एड0 प्रशिक्षण संस्थान
उ0प्र0।

पत्रांक : गोप0/डी0एल0एड0 2021/ 3123-3222 /2021-22 दिनांक :27 सितम्बर, 2021

विषय : डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑन लाइन प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के पश्चात् आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जॉच तथा प्रवेश सम्बन्धित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021 कांउसलिग/प्रवेश प्रक्रिया हेतु शासनादेश सं0 752/अरसठ-4-2021-9(3)/2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 21.09.2021 द्वारा निर्गत समय-सारिणी एवं शासनादेश सं0 426/68-4-2019-2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 25.06.2019 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुपालन में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021 प्रवेश/चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 21.09.2019 द्वारा काउंसलिंग सम्पादित करायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों की मेरिट/स्टेट रैंक के सापेक्ष एवं भरे गये प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता के क्रम में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किया गया है। ऑन लाइन प्रशिक्षण संस्थान के आवंटन के पश्चात् आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जॉच एवं चयन/प्रवेश हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :-

1. डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021 में ऑन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये शैक्षिक गुणांक के आधार पर उनकी मेरिट एवं स्टेट रैंक के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा उनकी मेरिट एवं भरे गये विकल्प के वरीयता क्रम में ऑन लाइन प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन एवं आवंटित सस्थान में अभिलेखीय जॉच और प्रवेश सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु समय-सारिणी निम्नवत् है-

क्र0स0	संस्थान का विकल्प भरने की तिथि	स्टेट रैंक	संस्था आवंटन प्रकाशित होने की तिथि	आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जॉच/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि
01	22 सितम्बर 2021 (सायं) से 24 सितम्बर 2021 तक	रैंक 000001 से 30000 तक	25 सितम्बर 2021	27 सितम्बर 2021 से 04 अक्टूबर 2021 सायं 05:00 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि
02	25 सितम्बर 2021 (सायं) से 27 सितम्बर 2021 तक	रैंक 30001 से 100000 तक एवं (क्रम सं0 01 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें क्रम सं0 01 में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो।)	28 सितम्बर 2021	
03	28 सितम्बर 2021 (सायं) से 30 सितम्बर 2021 तक	रैंक 100001 से 240154 तक एवं (क्रम सं0 01 एवं 02 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें क्रम	01 अक्टूबर 2021	

		सं0 1 व 2 में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो।)		
03	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट / लॉक करने की अंतिम तिथि (नोट– निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट **https://updeled.gov.in** पर ऑनलाइन रिर्पोट / लॉक नहीं किये जाने पर, लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा)			04 अक्टूबर 2021
05	प्रशिक्षण प्रारम्भ	11 अक्टूबर 2021		

2. उक्त समय सारिणी के अनुसार प्रदेश के समस्त डायट एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में आवंटित अभ्यर्थियों की अभिलेखीय जॉच / प्रवेश की कार्यवाही, प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्थानों द्वारा **दिनांक 27 सितम्बर 2021 से 04 अक्टूबर 2021 (सायं 05:00 बजे)** तक सम्पादित करायी जायेगी।

3. प्रदेश के समस्त डायट एवं निजी प्रशिक्षण संस्थान वेबसाइट updeled.gov.in पर उपलब्ध College Login पर जाकर Login_id तथा Password की सहायता से अपने संस्थान में आवंटित अभ्यर्थियो की सूची का अवलोकन कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आवंटित अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन वेबसाइट के Alloted and Vaccant result ऑप्शन पर भी किया जा सकता है।

4. प्रदेश के समस्त संस्थानों (डायट / निजी संस्थान) को वेबसाइट updeled.gov.in पर प्रथम बार लॉगिन हेतु लॉगिन आईडी SAInstitute_Code तथा पासवर्ड PAInstitute_Code होगा। उदाहरण के लिए यदि संस्थान का कोड 010200 तो उक्त संस्थान के लिए लॉगिन आईडी SA010200 तथा पासवर्ड PA010200 होगा।

5. उक्त लॉगिन आइर्ड डी तथा पासवर्ड की सहायता से वेबसाइट पर कॉलेज लॉगिन करने के पश्चात् संस्थान को नवीन Password बनाना होगा। Password बनाये जाने के उपरान्त बनाये गये नवीन Password की मदद से ही, प्रशिक्षण संस्थान वेबसाइट पर लॉगिन कर सकेंगे।

6. अभ्यर्थी की मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्था में अभिलेखीय जॉच / प्रवेश की कार्यवाही के लिए आवंटन पत्र (Allotment Letter) प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को रू0 10,000 (दस हजार मात्र) का भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा किए गये भुगतान का ट्रांजेक्शन सफल होने पर अभ्यर्थी अपना संस्थान आवंटन पत्र (Allotment Letter) डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे।

7. अभिलेखों की जॉच के समय अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन संस्था आवंटन पत्र (Allotment Letter) के साथ, डी0एल0एड0 2021 के ऑन लाइन आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने पर एवं उनका नाम प्रशिक्षण संस्थान की लॉगिन में प्रदर्शित होने पर उनके अभिलेखों की जॉच सम्पादित करायी जायेगी। अभिलेखों की जॉच हेतु अभ्यर्थी के पास रू0 10,000 का भुगतान किये जाने के उपरान्त प्रिन्ट किये गये संस्था आवंटन पत्र का होना अनिवार्य है।

8. **वर्ष 2021 में स्नातक उत्तीर्ण** ऐसे अभ्यर्थी जो डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2019 एवं आगामी वर्षो में प्रवेश हेतु निर्गत शासनादेश सं0 426 / 68–4–2019–2067 / 2013 दिनांक 25.06.2019 द्वारा निर्धारित **शैक्षिक अर्हता एवं आयु सम्बन्धी अर्हता पूर्ण करते हैं** वह **डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021** हेतु अर्ह माने जायेंगे।

9- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम निर्धारित तिथि दिनांक 15.09.2021 के बाद के घोषित परीक्षाफल, शैक्षिक अंकपत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार्य नही होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 15.09.2021 तक इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र को मान्य करते हुए अभ्यर्थी से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि भविष्य में सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की विसंगति होती है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

10. प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जाँच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षित/विशेष आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्रों जिसका विवरण अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र में अंकित किया गया हो, पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो युक्त राशन कार्ड, बैक पास बुक एवं अन्य संगत अभिलेखों की जॉच के उपरान्त प्रवेश की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी। अभिलेखीय जॉच का अर्थ प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है।

12. अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के जाँचोपरान्त यदि उनके Gender पुरूष/महिला एवं अन्य विवरण (प्राप्तांक/पूर्णांक को छोड़कर) में त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित किया गया है तो उनके वास्तविक अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र लेकर अभिलेखीय जॉच/प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाय।

13. अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक के सम्बन्ध में यदि उनके मूल अभिलेखो के अनुसार पूर्णाक/प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थी की वास्तविक मेरिट अधिक है एवं उनके द्वारा ऑन लाइन आवेदन में त्रुटिपूर्ण कम मेरिट अंकित किया गया है एवं अभ्यर्थी कम गुणांक के आधार पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु इच्छुक है तो अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लेकर अभिलेखीय जॉच/प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाय।

14. अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक के सम्बन्ध में यदि अभ्यर्थी के मूल अभिलेखो में अंकित पूर्णाक/प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थी की वास्तविक मेरिट कम है एवं उनके द्वारा ऑन लाइन आवेदन में त्रुटिपूर्ण अधिक मेरिट अंकित किया गया है तो अभ्यर्थी की मेरिट के आधार पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में, सम्बन्धित अभ्यर्थी के वर्ग/श्रेणी में आवंटित अंतिम अभ्यर्थी के कट ऑफ मेरिट के अन्तर्गत अभ्यर्थी का गुणांक होने पर उन्हें प्रवेश हेतु सम्मिलित किया जा सकता है।

15. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभिलेखों की जॉच के साथ–साथ प्रवेश की कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी। प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण शुल्क जमा किये जाने हेतु अभिलेखों की जॉच की तिथि से प्रवेश की अंतिम **तिथि 04 अक्टूबर. 2021 सायं 05:00 बजे तक** का अवसर दिया जायेगा। निजी संस्थानों हेतु शासनादेश सं0 1441/15–11–2014 दिनांक 10.09.2014 के बिन्दु सं0 10 द्वारा **प्रतिवर्ष रू0 41000 (इकतालिस हजार मात्र)** तथा प्रदेश के डायट हेतु शासनादेश दिनांक 05.06.2017 द्वारा **रू0 10,200 (दस हजार दो सौ रूपये मात्र)** प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित है।

16. अभ्यर्थियों द्वारा उनके प्रशिक्षण शुल्क के भाग से रू0 10,000 (दस हजार मात्र) की धनराशि संस्था आवंटन के पूर्व ही जमा करा ली गयी है। अतः प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क से अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जमा किये गये रू0 10,000 (दस हजार मात्र) को समायोजित करते हुए शेष धनराशि प्रशिक्षण शुल्क के रूप में जमा करायी जायेगी। यानि कि निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से **रू0 31000 (इकत्तीस हजार रू0 मात्र) एवं प्रदेश के डायट द्वारा रू0 200 (दो सौ रू0 मात्र)** अभ्यर्थियों से **प्रशिक्षण शुल्क** जमा कराये जायेंगे।

17. **प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभ्यर्थी के प्रवेश को वेबसाइट updeled.gov.in पर उपलब्ध कॉलेज लॉगिन पर दिनांक 04 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन रिर्पोट/लॉक करना अनिवार्य है।** अतः **ऐसे संस्थान जिनके द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 04 अक्टूबर 2021 तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट https://updeled.gov.in पर ऑनलाइन रिर्पोट/लॉक नहीं किया जायेगा, उन्हें काउंसलिंग के अगले चरण में रिक्त सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी आवंटित नहीं किये जायेंगे,** एवं इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होंगे।

18. शासनादेश दिनांक 25.06.2019 के प्रस्तर 9 के कॉलम 01 वाले डायट जनपदों के अभिलेखीय जाँच/प्रवेश/चयन की कार्यवाही कॉलम 02 वाले जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा की जायेगी।